मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 5684- 4जी0एस0 II- 76/21609 दिनांक 10 अगस्त, 1976 की प्रति ।

विषय : कनटिनजैन्ट पेड कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टियां प्रदान करना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर सयुक्त पंजाब सरकार के पत्र क्रमांक 2855-जी0 II-59/10518, दिनांक 9-4-1959 की ओर आकर्षित करूं जिसमें (contingent paid) श्रेणी 4 के कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी का लाभ देने की व्यवस्था की गई है । अब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या (contingent paid) कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान शनिवार, रविवार तथा अन्य ऐसी छुट्टियां के हकदार हैं । ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि (contingent paid) स्टाफ को सप्ताह में एक दिन का विश्राम दिया जाए जिसके लिए उन्हें पूरा वेतन दिया जाये ।

भवदीय,

हस्ता0

उप सचिव, राजनैतिक एवं सामान्य प्रशासन,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति—

1. वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ भेजी जाती है ।